राजस्थान-सरकार
वित्त (कर) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 01.7. 2009

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का राजस्थान अधिनियम संख्या-14) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि, उक्त अधिनियम के अधीन सीमा शुल्क बन्ध-पत्र (CUSTOM BOND) पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.10 प्रतिशत किया जावेगा, जो न्यूनतम एक सौ रूपये और अधिकतम एक हजार रूपये के अध्यधीन होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 27.5.04 से प्रवृत्त होगी। परन्तु किसी भी मामले में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क का रिफण्ड देय नहीं होगा।

प.2(26)वित्त/कर/2008-8
राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(एस.एस.राजावत)
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(39)जन/09/5090-5549 दिनांकः 10-07-2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. ... सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर को विभाग की वेबसाइट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
8. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

10/7/09
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर